n

बालमित्र ग्राम पंचायतः क्या क्यों और कैसे?

सरपंचों एवं पंचायत संगवारी हेतु दिशा निर्देश

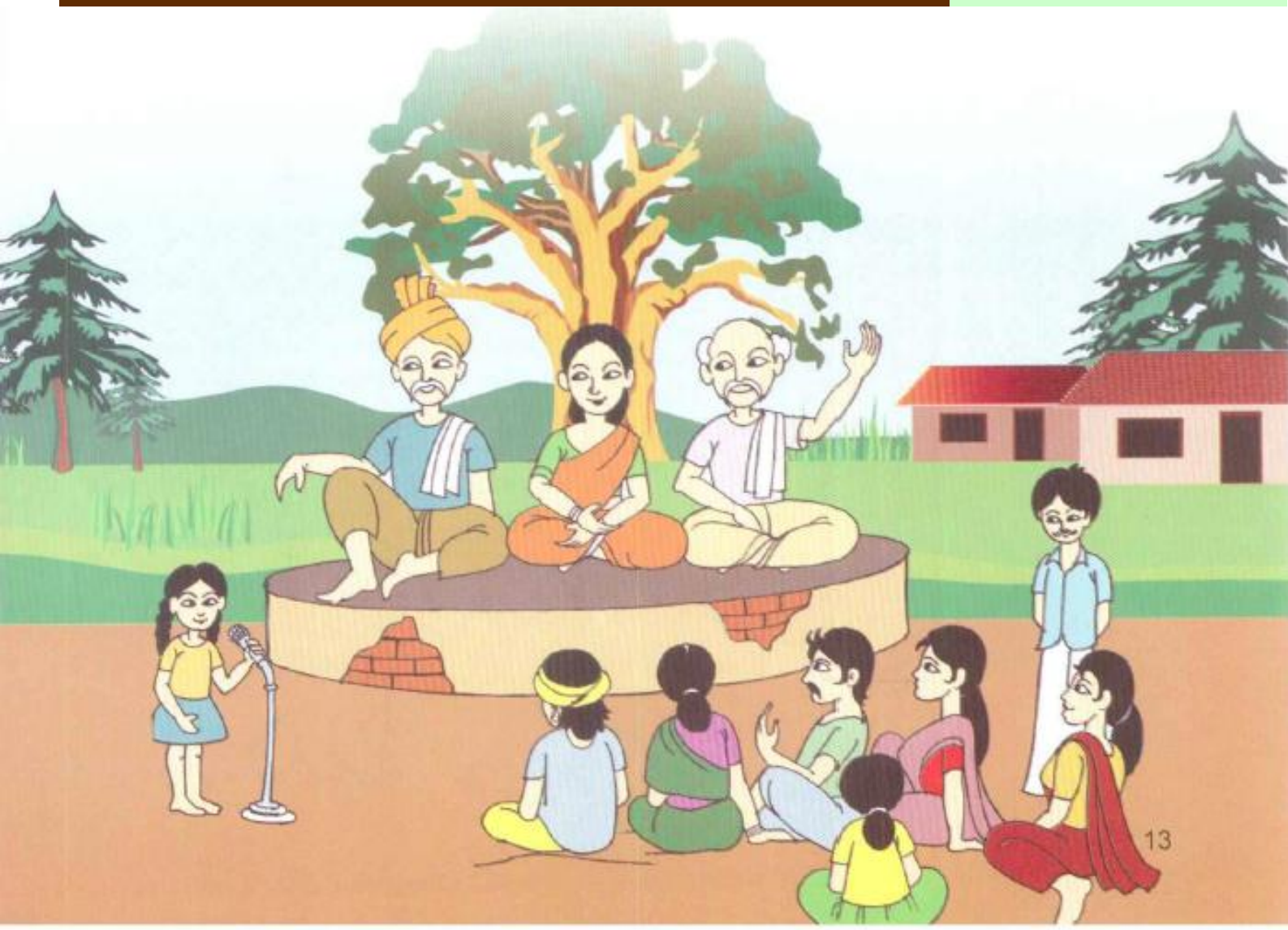

unicef for every child

भूमिका

युनिसेफ छत्तीसगढ़ सरकार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्व है ताकि ग्राम पंचायतों को बच्चों व महिलाओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। बालमित्रा ग्राम पंचायत के क्षमता विकास, निगरानी और प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग के लिए यूनिसेफ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

क्षमता विकास के लिए युनिसेफ मास्टर ट्रेंनरों के प्रशिक्षण के विभिन्न बैचों में **बालमित्र ग्राम पंचायत** विषय पर सत्र लेकर ठाकुर प्यारे लाल राज्य पंचायत एवं ग्रामिण विकास संस्थान (TPSIPRD) Thakur Pyarelal State institute of panchayat and Rural Development) का समर्थन करता रहा है, जो बदले में चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह दिशानिर्देश बाल अधिकारों और बालमित्र पंचायत की अवधारणाओं पर निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को एक व्यापक विचार (Comprehesive Idea) प्रदान करेगा।

बच्चा – 1989 के संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के अनुसार "हर व्यक्ति जो अठारह साल की उम्र से नीचे हो", उसे 'बच्चा' कहेंगे।

1989 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते को विश्व स्तर पर अपनाया गया। 1992 में भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किया। वर्तमान में इस समझौते की पुष्टि 196 राष्ट्रों ने की है।

26 अप्रैल 2013 को भारत ने राष्ट्रीय बाल नीति को अपनाया। यह नीति संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते में दिये गए सिद्धांत पर आधारित है। इस नीति में प्राथमिकता दिये गए क्षेत्रा निम्नांकित हैं :

जीने का अधिकार

जीवन का
स्वास्थ्य का
पोषण का
पहचान एवं राष्ट्रीयता का

विकास का अधिकार

शिक्षा का
देखभाल का
खेलकूद, मनोरंजन तथा
सांस्कृतिक गतिविधियों
का

सुरक्षा का अधिकार

भय से
भेदभाव से
प्रताड़ना से

भागीदारी का अधिकार

जानकारी लेने में
विचारों के अभिव्यक्ति में
अपनी सोच रखने में

बच्चों को विशेष अधिकार चाहिए क्योंकि.....

- समाज में व्याप्त अज्ञानता और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बहुआयामी गरीबी के कारण बच्चे भ्रूणहत्या, भेदभाव, उपेक्षा, कुपोषण, प्रताड़ना बालश्रम बालविवाह इत्यादि जैसे जोखिम का शिकार होते हैं।
- समाज में यह मान्यता रहती है कि बच्चे माँ–बाप की संपत्ति होते है और वह अभी समाज में योगदान देने लायक नहीं है।
- अक्सर यह माना जाता है कि बच्चे अपने से सोच नहीं सकते। इसलिये उनको अपने विचारों की अभिव्यक्ति, स्वयं के लिये निर्णय लेने, इत्यादि की अनुमति नही दी जाती।

यदि किसी राष्ट्र को विकसित बनना है तो उसे अपना निवेश बच्चों में करना होगा

- बच्चों को बड़ों पर निर्भर के रूप में देखा जाता है। उनके जीवन का निर्णय बड़े लेते हैं।
- बच्चे मतदाता नहीं है। अतः उनकी राजनीतिक गिनती नहीं होती है और उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती।
- बच्चों के पास आर्थिक क्षमता नहीं होती। इसलिये उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता।

बच्चों के प्रति पंचायत की जिम्मेदारी

- "एक बच्चे को बड़ा करने में पूरे गाँव का हाथ है"–इस अफ्रीकी कहावत का अर्थ है कि यदि एक बच्चे को सुरक्षित एवं स्वस्थ्य परिवेश में बड़ा होना है तो पूरे समुदाय का योगदान आवश्यक है।
- वास्तविक स्थिति ऐसी है कि हर समुदाय/पंचायत में बच्चे सबसे कमजोर और असुरक्षित वर्ग होते हैं। आज उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है लेकिन ये कल एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे।
- ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक सुरक्षित, अनुकूल एवं उत्साहजनक परिवेश मुहैया कराया जाय ताकि उनकी पूरी क्षमता विकसित हो।
- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते में निर्धारित अधिकारों को प्रगतिशील, सतत एवं व्यापक रूप से सुनिश्चित करना सभी निर्वाचित सदस्यों का उत्तरदायित्व है। अतः हर जन प्रतिनिधि को अपने पंचायत को बाल संवेदनशील, बाल हितैषी एवं बालमित्र बनाने के लिये प्रतिबद्ध रहना होगा।
- बालमित्र पंचायत बच्चों के लालन–पालन में परिवार को सहयोग देना ग्राम पंचायत की अहम भूमिका है। एक अनुकूल परिवेश में पले–बढ़े हुए बच्चे ही एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान करते हैं।
- बालमित्र पंचायत महज एक संकल्पना नहीं वल्कि एक संकल्प है जो बाल अधिकार को सुनिश्चित करने में एकाग्रीत है। बालमित्र पंचायत बच्चों को अपने पूरी क्षमता तक विकास करने में मदद करता है।

बालमित्र पंचायत किसे कहते हैं?

एक ऐसा पंचायत जहाँः–

- ग्राम पंचायत के सभी सदस्य जागरूक हैं, बच्चों के अधिकार को समझते हैं और उसे सुनिश्चित करते हैं। बच्चों के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और पंचायत के बच्चों के लिए कार्य योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं का विकास करते हैं। वे बच्चों से बच्चों के विशिष्ट आवश्यकताओं मुद्दों पर उनके विचार एवं मनतव्य का सम्मान करते हैं एवं ***ग्राम पंचायत विकास योजना*** **(GPDP)** में उन आवश्यकताओं एवं समस्याओं को जगह देते हैं।
- संरचनाओं के विकास में दिव्यांग बच्चों के विशेष जरुरतों का घ्यान रखा जाता है
- बच्चों के साथ जुड़े जमीनी कार्यकर्ता (ए.एन.एम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, शिक्षक) जागरूक हैं। वे बच्चों के अधिकारों को समझते हैं और उसे सुनिश्चित करते हैं और सक्रिय रूप से बाल केंद्रित गतिविधियों का सहयोग एवं समर्थन करते हैं। वे बच्चों के लिये सुरक्षित और भेदभाव रहित वातावरण सुनिश्चित करते हैं।
- माता–पिता, अभिभावक और समुदाय बच्चों के अधिकारों के बारे में जानते हैं और समझते हैं। बच्चों को पारिवारिक चर्चाओं में भागीदार बनाते हैं। वे उनकी रक्षा और सम्मान करते हैं और उनके साथ कभी भेदभाव नहीं करते हैं।

- बच्चे खुश, संरक्षित और सम्मानित हैं। उन्हे बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल और मनोरंजन की सुविधा मिल रही है। अपने से जुड़े मामलों में उनकी विचारों को सुना जाता है। बच्चे अपनी पंचायत में उनके लिए उपलब्ध सेवाओं, गतिविधियों और सुविधाओं का भरपूर उपयोग करते हैं।
- एक समुदाय जहाँ बच्चों के अधिकारों का एहसास होता है और उनके अधिकारों को बरकरार रखा जाता है।
- स्थायी ग्राम स्तरीय कार्यक्रम समितियां गठित एवं कृयाशील हो तथा इसके सभी सदस्य बालअधिकार के प्रति सजग एवं संवेदनशील हों और बाल केन्द्रित सभी सेवाओं की लगातार देख रेख करते हों।

बालमित्र पंचायत के प्रोत्साहन हेतु सरकार के कदम

2018 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने बालमित्र ग्राम पंचायतों (CF-GP) की ओर नए सिरे से ध्यान देने के साथ GPDP दिशानिर्देशों मे संसोधन किया है। साथ ही, प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों के चयनित एक सर्वश्रेष्ठ बालमित्र पंचायत को **बालमित्र पंचायत पुरस्कार** से सम्मानित करने की योजना लागू की है जिसके तहत एक विजेता पंचायत को प्रशस्ति पत्र के अलावा 5.0 लाख रुपये पुरस्कार स्वरुप प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कुटरु पंचायत, जनपद मैरमगढ़, जिला बीजापुर को वर्ष 2019 के लिए पुरस्कृत किया गया। सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार बालमित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार हेतु निम्न दस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने तथा शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने पर जोर दिया गया है:–

1. 0 से 02 वर्ष के सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण।
2. 03 से 06 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शालापूर्व शिक्षा।
3. विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम 90 प्रतिशत उपस्थिति।
4. 06 से 14 वर्ष के शत–प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति।
5. 06 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के छीजन में पूर्ण रुप से रोक।
6. सभी घरों में शौचालय की उपलब्धता एवं खुले में शौच से मुक्त गांव।
7. 10 से 19 वर्ष के सभी किशोरी द्वारा माहवारी के दौरान सेनेटरी नैपकीन का उपयोग एवं उसके समुचित निस्तारण की व्यवस्था।
8. 03 से 06 वर्ष के सभी बच्चों को पोषाहार एवं कुपोषण से पूर्ण मुक्ति।
9. विद्यालयों में नांमांकित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की सुविधा एवं म0 भो0 यो0 का सामाजिक अंकेक्षण।
10. सभी परिवारों के लिए स्वच्छ पेयजल।
11. गांव में घेरेदार एवं कार्यरत खेल का मैदान।

बालमित्र पंचायत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पूरक सूचक

स्वस्थ्य बच्चे का जन्म सुरक्षित जीवन (जन्म से 06 वर्ष):

- सभी गर्भवती महिलाओं का आँगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण होता हो।
- सभी गर्भवती महिलाऐं न्यूनतम चार प्रसव–पूर्व जाँच से गुजरती हों।
- ग्राम पंचायत में लिंग आधारित भ्रुण हत्या का कोई मामला नहीं हो।
- सभी प्रसव संस्थागत होते हों।
- सभी माताऐं प्रसव के बाद न्यूनतम 48 घंटे अस्पताल में रहती हो।
- सभी जन्म पंजीकृत हों और इनका प्रमाणपत्र भी जारी किया जाता हो।
- सभी स्तनपान कराने वाली माताओं का प्रसव पश्चात देखभाल हो।
- 0 से 6 माह के सभी बच्चे विशेष रूप से स्तनपान करते हों।

बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास (*6* से *18* वर्ष)

- पंचायत के कोई भी बच्चे बाल मजदूरी में नहीं लगे हो।
- ग्राम पंचायत में बाल विवाह के कोई भी मामले नहीं हो।

ग्राम पंचायत में बाल केन्द्रित सुविधाऐं

- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा सभी विद्यालयों में शुद्व एवं पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था हो।
- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा सभी विद्यालयों में हैंडवॉशिंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था हो।
- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा सभी विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों की उपलब्धता हो।
- ग्राम पंचायत में स्थायी एवं सभी समितियां कार्यरत हो।
- ग्राम पंचायत में बालसभा का आयोजन किया जाता हो और उससे उभरे मुद्दों को ग्राम पंचायत विकास योजना मे रखा जाता हो एवं समुचित बजट का प्रावधान हो।
- ग्राम पंचायत के सभी कार्य–स्थल पर शिशुओं की देख–रेख की व्यवस्था होती हो।
- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल सुगम शौचालय (दरवाजे में जाली,बच्चों का टायलेट शीट) हो।
- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों मे रसोई घर हवादार व रोशनीदार हो तथा केन्द्रों में हवादार एवं उजाला की व्यवस्था हो।
- सभी आगनबाड़ी केन्द्रों तक सी.सी. सड़क हो,दिवारों पर शिक्षा संबंधी चित्र व मेनु चार्ट लेखन तथा आंगनबाड़ी सौंदर्यीकरण हो।
- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के खेल संबंधित झूला, खिलौना तथा अन्य सामग्री हो और साथ ही साथ खेल एक अलग क्षेत्र हो।
- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन मशीन की व्यवस्था हो
- सभी आंगनबाड़ीयों में कूड़ादान की व्यस्था,गंदे पानी की निकासी नाली या सोखता गढ्ढा की व्यवस्था हो।
- सभी आंगनबाड़ीयों में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच हेतू ए.एन.सी टेबल एवं पर्दा की व्यवस्था हो।
- सभी स्कूलों तक पक्का सड़क (सी.सी. सड़क) हो।
- सभी स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन करने के लिए व्यवस्था हो।
- सभी स्कूलों में बिजली की व्यवस्था हो।
- सभी स्कूलों में व्यवस्थित पुस्तकालय (पुस्तक रखने के लिए आलमारी,बच्चों के पढ़ने हेतु बैठक व्यवस्था)
- ग्राम पंचायत में ग्राम वाचनालय की व्यवस्था हो।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति जवाबदेही

- सभी आँगनबाड़ी केन्द्र में दिव्यांग अनुकुल शौचालय की उपलब्धता हो।
- सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में दिव्यांग अनुकूल शौचालय की उपलब्धता हो।
- सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सुगमता से आवागमन हेतु रैम्प की व्यवस्था उपलब्धता हो।
- पंचायत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चो के अनुकुल खेल का मैदान हो।

बालमित्र ग्राम पंचायत कैसे बनाएं?

किसी भी पंचायत को बालमित्र बनाने के लिए कुछ आवश्यक पहलुओं पर ध्यान देने एवं निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है:–

पहला कदमः बच्चों के विशेष आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर पंचायत को संवेदनशील बनाना

ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों, ग्राम स्तरीय कर्मियों, ग्राम स्तरीय समिति के सदस्यों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, अविभावकों को बाल समस्याओं और आवश्यकताओं पर जागरुकता कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्यक्रमों से इन प्रमुख समूहों के बीच बच्चों की समस्याओं एवं विशेष आवश्यकताओं पर समझ एवं जागरुकता बढ़ेगी। इन जागरुकता कार्यक्रमों में राज्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD), पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि तथा अन्य पंचायत के प्रतिनिधि जिन्होंने इस दिशा में बेहतर प्रदर्शन किया हो उनकी मदद ले सकते हैं और उन्हें विशेषज्ञ के तौर पर ऐसे कार्यक्रमों/बैठकों में आमंत्रित करना चाहिए।

दूसरा कदमः बालमित्र ग्राम पंचायत के लक्ष्य का निर्धारण

लक्ष्य के निर्धारित करने के लिए उपर बताए गये समूह से सुझाव लेना होगा। इस सामूहिक संपर्क और सुझाव के लिए सबसे बेहतर तरीका विशेष ग्राम सभा का आयोजन है जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि हमें हमारे ग्राम पंचायत को बालमित्र बनाने के लिए क्या कुछ करने की जरुरत है। साथ ही हमें अलग से सयाने बच्चे और किशोरों की बाल सभा आयोजित कर उनके समस्याओं पर उनका विचार और सुझाव जानना होगा और इन सबके विचार और सुझाव लेने के बाद ग्राम पंचायत की बैठक कर लक्ष्य को अंतिम रुप देना होगा।

तीसरा कदमः बच्चों के वर्तमान स्थिति का स्व आंकलन

लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद ग्राम पंचायत को इन लक्ष्यों पर आधारित पंचायत की वर्तमान स्थिति का स्व आंकलन करना होगा। उदाहरण के तौर पर हमें यह आंकलन करना होगा कि हमारा आंगनबाड़ी किस हद तक बालमित्र है और हमें इसे और अधिक बालमित्र बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा। स्व आंकलन के लिए चेक लिस्ट संलग्नकः 1 में दिया गया है।

चौथा कदमः वार्षिक कार्ययोजना का निर्धारण

स्व आंकलन में उभर कर आये वर्तमान स्थिति पर आधारित हमें वार्षिक कार्ययोजना बनाना होगा। कार्ययोजना बनाते समय हमें पंचायत में उपलब्ध भौतिक, वित्तीय एवं मानव संसाधन को घ्यान में रखना होगा। कार्ययोजना बनाते समय वैसे गतिविधियों का चयन करना बेहतर होगा जिसमें कोई लागत नहीं लगे अथवा बहुत कम लागत लगे ताकि हमें इन गतिविधियों को करने में बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता नहीं पड़े और परिणाम भी बेहतर प्राप्त हो। कार्ययोजना बनाते समय अक्सर देखा गया है कि हम अति उत्साहित होकर बहुत सारी गतिविधियां तय कर लेते हैं परन्तु जब उसपर अमल की बात आती है तो उसमें समय एवं संसाधन की मर्यादा का ध्यान नहीं रख पाते। अतः कार्ययोजना बनाते हुए हमें समय एवं संसाधन का ध्यान रखना चाहिए। सुविधा के लिए यहां ऐसी संभावित बिना लागत या कम लागत वाले बाल केन्द्रित गतिविधियों की सुची आपके सहायता के लिए दी जा रही है:–

स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण संबंधी गतिविधियां

- पंचायत क्षेत्र में सभी गर्भवतियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना।
- सभी गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि एवं पोषाहार जैसी सविधाओं को सुनिश्चित करना।
- आपातकालीन प्रसव के लिए 24 घंटे/ 7 दिन परिवहन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र की नियमित निगरानी करना।
- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को अवश्यकतानुसार वजन मशीन तथा लंबाई मापक स्टैंड प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि पंचायत के स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड न दिया जाये।

- सुरक्षित पेयजल, हाथ धोने की सुविधा और कचरा प्रबन्धन प्रणाली को बढ़ावा देना।
- सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने हेतु पंचायत के सभी जल स्त्रेतों के पानी की नियमित गुणवत्ता जाँच करना एवं पेयजल के खुले स्त्रेतों की प्रबंधन करना और नियमित क्लोरिनीकरण करना।
- स्कूलों और आंगनबाड़ी में मध्यान्ह भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने को प्रोत्साहित करना।
- गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी) में उपचार सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक स्थल जैसे हाटबाजार, बस स्टैंड, सामुहिक बैठक स्थल इत्यादि में सामूहिक शौचालय की व्यवस्था एवं उसके रख–रखाव की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और स्वाद के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी और स्कूलों की नियमित निगरानी।
- पंचायत में हर कार्यस्थल जहाँ महिलाएँ कार्यरत है वहाँ नवजात बच्चों की देख–रेख की सुविधा सुनिश्चित करना।
- स्कूलों और आँगनबाड़ियों में पोषण बाड़ी को प्रोत्साहित करना।
- ग्राम पंचायत में स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Manegment) सुनिश्चित करना।

शिक्षा संबंधी गतिविधियां

- स्कूलों की उपस्थिति अभियान आयोजित करने में सहायता करना।
- अनियमित एवं शालात्यागी बच्चों को चिन्हित करके उनके अभिभावकों से परामर्श कर उनको स्कूल भेजना सुनिश्चित करना।
- स्कूलों की लगातार दौरा कर सभी शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायतों के सभी स्कूलों में सभी बच्चों के प्रवेश के लिए वार्षिक नामांकन अभियान शुरू करना।
- ग्राम पंचायत में महिलाओं और लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण के अवसरों की पहचान और जीपीडीपी में शामिल कराना।

सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियां

- पी.सी.पी.एन.डी.टी.अधिनियम (प्रसव पूर्वजाँच एवं लिंग आधारित गर्भपात) के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार और जागरूकता अभियान (विशेष रूप से युवा/भावी जोड़ी के बीच) का आयोजन करें।
- लिंग परीक्षण के मामलों का पता चलने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही।
- होटलों आदि में लगे बच्चों के बालश्रम की निगरानी करना।
- शत प्रतिशत जन्म पंजीकरण एवं शत प्रतिशत जन्म प्रमाणपत्र की उपलब्धता 21 दिन के अन्दर सुनिश्चित करना।
- दुर्गम क्षेत्र में बसे आदिवासी समुदायों के बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिए विशेष अभियान का आयोजन करना।
- बाल श्रम की घटनाओं का पता लगाना और संबधित अधिकारियों को रिपोर्ट करना।
- नशीले पदार्थ मुक्त विद्यालय क्षेत्र (100 मीटर ज़ोन) सुनिश्चित करना।
- स्कूल क्षेत्र दर्शाने हेतु संकेत बोर्डों को प्रदर्शित करना।

अन्यान महत्वपूर्ण बिना लागत/कम लागत वाली गतिविधियां

- अपने पंचायत में बाल दिवस के मौके पर बालसभा का आयोजन करना एवं बाल केन्द्रित विकास योजना तैयार कर ग्राम पंचायत विकास योजना ;जी0पी0डी0 पी0 में शामिल करना।

- पंचायत क्षेत्र में खेल के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना। मैदान का समतलीकरण, खेल उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुओं के खरीद/निर्माण और रखरखाव करना।

- ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, चार प्रसव पूर्व जॉंच, संस्थागत प्रसव, प्रसव पश्चात देखरेख, जन्म पंजीकरण आदि संकेतकों का निगरानी करना।
- पोषण और आंगनबाड़ी के कामकाज की जानकारी हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन करना।
- ग्राम पंचायत के अधीनस्थ समितियों (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति, बाल संरक्षण समिति, महिला मंडल) को मजबूत और सक्रिय करना।
- पंचायतों में सभी विवाह का पंजीकरण सुनिश्चित करना।
- गरीब और कमजोर परिवारों के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना।
- जल सुरक्षा मुद्दों पर समुदाय को संवेदनशील बनाना तथा जल सुरक्षा (Water Security) और स्वच्छता योजना तैयार करना।
- खुले में शौच मुक्ति (ODF) को बढ़ावा देने और शौचालय का उपयोग करने के लिए बच्चों को अगुवा के रूप में उपयोग करना।
- ग्राम पंचायत में **बाल सभाओं** का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चों/किशोरों को योजना बनाने और निर्णय की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बन सकें।
- ग्राम पंचायत में सेवाओं की पहुंच एवं बच्चों की पहचान हेतु डोर टू डोर सर्वे करना (गर्भवती महिलाओं,स्तनपान कराने वाली माताएं, 0–6 वर्ष,6–10 वर्ष,10–14 वर्ष और 14–18 वर्ष के बच्चों का सर्वे)
- ग्राम पंचायत में नवम्बर माह में 14–21 तारीख के बीच बच्चों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ग्राम सभा आयोजित करवाना तथा इसका प्रावधान करना।
- ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त करने हेतु ग्राम सभा बैठक और ग्राम स्तरीय बैठक के दौरान एजेंडा (Agenda) या चर्चा के बिन्दु के रूप मे शामिल करना।

पांचवां कदमः क्रियान्वयन

कार्ययोजना में तय किये गतिविधियों को लागू करना ही क्रियान्वयन कहलाता है। गतिविधियों का क्रियान्वयन जितना समयबद्ध और प्रभावी होगा उसके परिणाम भी हमें उतना ही बेहतर प्राप्त होंगे। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा।

क.कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालनः विदित है कि हम कोविड महामारी काल से धीरे–धीरे नवसामान्य (न्यू नॉर्मल) अवस्था में लौट रहे हैं तथा ग्राम स्तर पर धीरे–धीरे शिक्षण, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी सेवायें बहाल होनी शुरू होगी परन्तु फिर भी जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है कि यदि हम सेवा के साथ सतर्कता नहीं बरतेगें तो पुनः तीसरी लहर का संकट गहरा हो जायगा और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होगा और बालमित्र पंचायत का लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आयेगी। इसलिए जरूरी है कि हम पूरी कड़ाई के साथ कोविड अनुकूल व्यवहारों को पालन करवाते हुए सेवाओं को पुनः संचालित करें।

ख. <u>हितभागियों का सहयोग लेना</u>ः बालमित्र पंचायत निर्माण हेतु कार्ययोजना के प्रभावी कृयान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सभी हितभागियों का सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। हितभागी तीन प्रकार के होते हैं प्राथमिक (Primary),

द्वितीयक (Secondary) एवं तृतीयक (Tertiary)। जिनका हित मुद्दे से सबसे करीब जुड़ता है वह प्राथमिक हितभागी हैं, पंचायत के बालमित्र होने से सबसे ज्यादा हित बच्चों का होने वाला है इसलिए वे प्राथमिक हितभागी (प्राइमरी स्टेक) हैं एवं उनका सहयोग और सुझाव हर कदम पर होना जरुरी है। द्वितीयक हितभागी (सेकेन्ड्री स्टेक) वैसे समूह हैं जिनका हित अप्रत्यक्ष रुप से जुड़ता है, एक पंचायत यदि बालमित्र बनता है तो बच्चों के साथ–साथ उसका अप्रत्यक्ष हित बच्चों के माता–पिता एवं अविभावकों का भी होता है अतः वे द्वितीयक हितभागी की श्रेणी में रखे जाएंगे। तृतियक हितभागी (टरशियरी स्टेक) के श्रेणी में वैसे समूह/संस्थाएं आते हैं जो पंचायतों को बालमित्र पंचायत बनने की दिशा में जनमानस तैयार करने की भूमिका निभाते हैं। हितभागी के तृतियक श्रेणी में ग्राम पंचायत की समितियां, स्वयं सहायता समूह, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि को शामिल कर सकते हैं। यदि इन सबों का सक्रीय सहयोग ग्राम पंचायतों को कार्ययोजना बनाने व उसे अमल में लाने एवं उसकी समय–समय पर देख रेख करने में मिले तो निश्चित ही वह पंचायत कम समय में बालमित्र पंचायत बन सकता है। अतः सभी हितभागियों का सहयोग काफी महत्वपूर्ण है।

ग. **ग्राम स्तरीय समितियों का गठन, क्रियाशीलन एवं समन्वय स्थापित करना:** जिस प्रकार सरकार में मंत्रीमंडल समिति होती है ठीक उसी प्रकार ग्राम सरकार के भीतर भी एक कैबिनेट का गठन किया जाता है जो विषय विशेष से जुड़े विकास कार्यों की देखरेख करता है ।कछत्तीसगढ़ पंचायती राज नियमावली 1994 के अधीन पांच स्थायी समिति का प्रावधान किया गया है जिनमें से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति के जिम्मे शिक्षा तथ स्वास्थ्य के अलावे महिला एवं बाल विकास विकास के विषय आते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार संपोषित विभिन्न कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने एवं देखरेख के लिए ग्राम स्तरीय कार्यक्रम समितियां गठित की गई है एवं ये पंचायत से संबद्ध हैं तथा ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। समितियां निम्न हैं :–

- शिक्षा,स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति (ग्राम पंचायत की स्थायी समिति)
- ग्राम स्वास्थ्य,पोषण एवं स्वच्छता समिति (VHSNC, NRHM)
- ग्राम बाल संरक्षण समिति (VCPC, ICPS)
- शाला प्रबंधन समिति (SMC, Education)
- महिला मंडल (ICDS)

इन समितियों की भूमिका कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने एवं देखरेख में काफी महत्वपूर्ण है परन्तु अनुभव बतलाते हैं ये समितियां पूरी तौर पर गठित नहीं की गई है अगर गठित भी की गई है तो सक्रीय नहीं है एवं इनके बीच आपसी समन्वय का भी आभाव है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जिन पंचायतों में ये समितियां सक्रीय नहीं हैं उन्हे मजबूत कर सक्रीय बनाया जाय ताकि वे अपने कार्यों का निर्वहन भली भांति कर सकें एवं पंचायत को बालमित्र बनाने में अपना महति योगदान दे सकें।

घ. **बाल केन्द्रित सरकारी योजनाओं से जुड़ाव:** जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास को केन्द्रित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करती है। बालमित्र ग्राम पंचायत निर्माण हेतु बनाए गये कार्ययोजना के प्रभावी मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि पंचायतें ज्यादा से ज्यादा माताओं एवं बच्चों को निम्नलिखित योजनाओं एवं सेवाओं से जोड़ने का प्रयास करें:–

माँ और बच्चों से संबधित योजनाएँ

01. समेकित बाल विकास सेवा योजना।	13. कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय योजना।
02. एकीकृत बाल संरक्षण योजना।	14. मध्यान भोजन योजना
03. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। (PMMVY)	15. निःशुल्क पाठय पुस्तकों का प्रदाय योजना।
04. जननी सुरक्षा योजना	16. पुस्तकालय योजना।
05. मितानिन कार्यक्रम	17. स्वामी आत्मानंद वाचनालय योजना।
06. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	18. निःशुल्क गणवेश योजना।
	19. हैण्ड पम्प आधारित जल प्रदाय योजना।

07. पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन. आर. सी.) 08. विशेष पोषण एवं देखरेख ईकाई (एस.एन.सी.यु.) 09. मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। 10. नोनी सुरक्षा योजना। 11. मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। 12. विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा योजना। 13. महतारी दुलार योजना	20. सबला योजना। 21. कशोरी शक्ती योजना। 22. सक्षम योजना 23. सार्वजनिक वितरण प्रणाली। (पी0डी0एस0) 24. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

इन योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी संबधित विभाग के जनपद/जिला स्तरीय अधिकारी से सपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

च. छठा कदमः अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

कार्ययोजना के क्रियान्वयन के दौरान हमें निश्चित अन्तराल (दो माह पर) उसकी देखरेख करनी होगी। प्रभावी देखरेख के में पंचायत सदस्यों, महिला बाल कल्याण समिति,ग्राम स्तरीय कार्यक्रम समितियों, स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों का एक निगरानी समूह तैयार करना होगा। यह समूह निश्चित अंतराल पर आंगनबाड़ी, विद्यालय, एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भ्रमण कर बच्चों को दी जा रही सेवाओं का अवलोकन करेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा तय किये लक्ष्यों/सूचकों पर हो रहे प्रगति से संबंधित सूचनाएं एकत्र करेंगे एवं एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और ग्राम पंचायत को सौंपेगे। अवलोकन से प्राप्त जानकारी एवं प्रगति संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण कर सेवाओं में आ रहे गैप का पता लगाएंगे एवं गुणत्मक सुधार लाने हेतु कार्ययोजना तैयार करेंगे । इस प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत के सेवादाता एवं पंचायत प्रतिनिधि समन्वय बैठक कर स्थानीय स्तर पर होने वाले समस्याओं का निदान करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे। जो समस्याएं जनपद या जिला स्तर से समाधान होने लायक होंगे उसे सरपंच द्वारा जनपद अथवा जिला स्तरीय संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर समाधान हेतु प्रयास करेंगे।

संलग्नक 1

पंचायत के स्व आंकलन हेतु चेकलिस्ट

1. कितने गर्भवती महिलाओं का निबंधन किया गया?
2. इस वर्ष पंचायत में कितना जन्म पंजीकरण हुआ?
3. ग्राम पंचायत द्वारा कितने जन्म प्रमाण पत्र जारी किये गये?

4. आपके ग्राम पंचायत में बच्चों के टीकाकरण की स्थिति क्या है? (कुल टीकाकरण/टीकाकृत)
5. कौन–कौन बच्चे आयु अनुसार टीकाकरण से वंचित रह गये?
6. पिछले वर्ष कितने नवजात एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु हुई और उसका क्या कारण था?
7. क्या आपके पंचायत के स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में अबाध पेयजल आपूर्ति की जाती है।
8. क्या पंचायत के स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से अनुकूल शौचालय है?
9. क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई करायी जाती है?
10. क्या आपके पंचायत के 03–05 वर्ष के सभी बच्चे आंगनबाड़ी में नामांकित हैं
11. क्या सभी 06–14 वर्ष के सभी बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं?
12. क्या सभी बच्चे नियमित विद्यालय आते हैं?
13. क्या सभी विशेष जरुरत वाले बच्चे विद्यालय या किसी अन्य शिक्षा कार्य में नामांकित हैं?
14. क्या विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों अच्छी गुणवत्ता वाले वाधामुक्त एवं कार्यशील भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं।
15. क्या पंचायत में 10–19 वर्ष के किशोर किशोरी संबंधी संख्या एवं विवरणी उपलब्ध है?
16. क्या आपके पंचायत में एडालेसेन्स फ्रेंडली हल्थ क्लिनिक उपलब्ध है? क्या किशोर किशोरी इनका लाभ लेते हैं?
17. क्या किशोरियां सबला और सक्षम कार्यक्रम की सेवाएं लेती हैं?
18. क्या पंचायत में कोई बच्चा बाल श्रमिक है?
19. क्या पंचायत में ग्राम बाल संरक्षण समिति गठित है?
20. क्या बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक होती है एवं संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा होती है?
21. क्या ग्राम बाल संरक्षण समिति में चौदह वर्ष से अधिक एक बालक एवं एक बालिका सदस्य के रुप में शामिल हैं?
22. क्या आपके पंचायत में बाल विवाह की घटनाएं होती है?
23. क्या आपके पंचायत के सभी विवाह एवं जन्म का पंजीकरण होता है?
24. क्या आपके पंचायत में बाल उत्पीड़न की घटना हुई है?
25. क्या पंचायत बच्चों के अधिकार के उल्लंघन हेतु जीरो टालरेन्स नीति अमल में लाती है?
26. क्या पंचायत में बच्चों को अमानवीय तरीके से मार पीट की घटनाएं होती है?
27. क्या बाल विकास में बच्चों की भागीदारी हेतु बाल क्लब गठित है?
28. क्या पंचायत में समुचित खेल मैदान तथा पार्क उपलब्ध एवं क्या वह बच्चे के लिए सुरक्षित है?
29. क्या ये विशेष जरुरत वाले बच्चों के अनुकूल है?
30. क्या पंचायत के बच्चे बाल संरक्षण समिति के माध्यम से समेंकित बाल संरक्षण सेवाओं से जुड़े हैं?
31. क्या आप अपने ग्राम पंचायत की योजना में बाल विकास के आयाम जोड़ने के लिए बच्चों से परामर्श बैठक करते हैं
32. क्या आप किशोरी एवं वंचित तबके के बच्चों को केन्द्रित कर अपने पंचायते की विकास योजना बनाते हैं?
33. ग्राम पंचायत निधि का कितना प्रतिशत बाल विकास हेतु खर्च किया जाता है?
34. क्या आपके पंचायत के सभी बच्चे खुशहाल एवं स्वस्थ हैं?

नोट